7-1-19

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर (फा.टे.) शाहपुरा-जयपुर

---x---

पीठासीन अधिकारी- श्री नरेन्द्र कुमार मीना (आर.ए.एस)

राजस्व वाद सं. 111/2019

उनवान मुकदमा

(1) मुकेश कुमार पुत्र राधेश्याम - जाति- स्वामी निवासी मनोहरपुर तह शाहपुरा जयपुर (राज.)

वादी

बनाम

(1) मोहनी देवी पत्नी सीताराम अग्रवाल- जाति- महाजन

(2) राकेश कुमार पुत्र कैलाश शर्मा - जाति- ब्राह्मण -- निवासी मनोहरपुर तह शाहपुरा

(3) कैलाश पुत्र हीरमल

(4) कानाराम पुत्र हीरमल

(5) सीताराम पुत्र हीरमल

(6) मीरा देवी पुत्री हीरमल

] समस्त जाति- यादव निवासी- ढोडी मनोहरपुर तह- शाहपुरा - जयपुर

(7) महेश पुत्रान रामबक्स

(8) मुरारी

(9) मोहन

(10) राजू

(11) हंसा] पुत्रीयान रामबक्स

] समस्त- जाति- यादव निवासी- केशवाबास तह- जमवारामगढ़ - जयपुर

(12) गउली देवी पत्नी माधुराम जाति- गुर्जर निवासी ढोडी मनोहरपुर तह शाहपुरा

(13) राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार शाहपुरा- जयपुर

(14) उपपंजियक कार्यालय शाहपुरा- जयपुर

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री कजोडीलाल मीणा वकील वादी

" एकपक्षीय

दावा-> 53,188 R.T. Act 1955

निर्णय दिनांक. 29-11-2019

दावा वादी संक्षेप मे इस प्रकार है कि आ-ख-न- 1429/0.4117 कुल किता।
रकबा 0.4117 हे. वाके ग्राम मनोहरपुर तह- शाहपुरा जयपुर मे स्थित है।
जिसमे वादी व प्रतिवादी स. 1 लगा. 11 का हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हाल है।
ख.न. 1427/0.21 कुल किता। रकबा 0.21 हे. वाके ग्राम मनोहरपुर तह-शाहपुरा
जयपुर मे स्थित है जिसमे वादी व प्रतिवादी स. 3 लगा. 12 का हिस्सा
राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हाल है, उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण
अपने- अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा
अपने- अपने हिस्से पर पुख्ता तामीरात कर काबिज काश्त है उक्त
आराजी का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी बटवारा नही हुआ है।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला—जयपुर) राज.

Scanned by CamScanner

उक्त आराजी मुख्य सड़क के पास है इस कारण प्रतिवादीगण के मन मे दुर्भावना आ गई है और वे उक्त आराजी का बिना कानूनी बटवारा करवाये ही विशिष्ट क्र. भाग को किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान कर उसके पक्ष मे उप-रज-14 के कार्यालय मे अन्तरण डीड पंजीकृत कराने व आराजी का राजस्व रिकार्ड मे परिवर्तन कराने पर आमादा है जबकि प्रतिवादीगण का ऐसा करना गलत एवं गैरकानूनी है। दिनांक 12-10-2019 को वादी अपनी आराजी की सार सम्भाल कर रहा था तब प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर 5-6 अजनबी व्यक्तियो को लेकर आये और आराजी मुतनाजा के विशिष्ट क्र. भाग की नापजोख करने लगे तब वादी ने उनसे नापजोख करने का कारण पूछा तो प्रतिवादीगण वादी से नाराज होकर आवेश मे आकर वादी के साथ आमादा फिसाद हो गए तथा धमकियां दी कि वे उक्त आराजी का बिना बटवारा कराये ही विशिष्ट क्र. भाग को अजनबी व्यक्ति को बेचान कर उनके पक्ष मे अन्तरण करवाकर आराजी के राजस्व रिकार्ड मे परिवर्तन करवाकर रहेंगे तथा अजनबी व्यक्ति का वादी को बेदखल कर आराजी के विशिष्ट क्र. भाग पर कब्जा करवाकर रहेंगे।

अन्त मे निवेदन किया कि आ.ख.न. 1429/0.4117 व 1427/0.21 कुल किता 2 रकबा 0.6217 है. वाके ग्राम मनोहरपुर तह. शाहपुरा जमपुर का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड के अनुसार मौके पर काबिज काश्त के मुताबिक राजस्व नियमावली को मध्य नजर रखते हुए कानूनी बटवारा किया जावे। वादी के हिस्से मे आई भूमि मे किसी प्रकार की बेजा मदाखलत पैदा नही करे व शांति पूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण नोटिस जारी किये गए। प्रतिवादीगण बाद तामील उपस्थित नही हुए। उनके विरूद्ध दिनांक 26/11/2019 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। वकील वादी द्वारा प्रकरण मे प्राथमिक डिक्री किए जाने हेतु निवेदन पर दिनांक 26/11/2019 को प्रस्तुत वाद को प्राथमिक डिक्री किया गया। दिनांक 28/11/2019 को तहसीलदार शाहपुरा से बटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील वादी ने तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बटवारा रिपोर्ट अनुसार प्रकरण को अन्तिम डिक्री किए जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बटवारा रिपोर्ट सही तैयार की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned by CamScanner

अतः दावा मुताबिक बटवारा रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है आ-ख-न- 1429/0.417 व 1427/0.21 है- वाके ग्राम मनोहरपुर तह- शाहपुरा का खातेदारान के मध्य निम्न बटवारा किया जाकर पृथक-पृथक खातेदारी अधिकार घोषित किये जाते है।

(1) आ-ख-न- 1427/2 रकबा 0.1350 व 1429/4 रकबा 0.3471 कुल कित्ता 2 रकबा 0.4821 है- कृषि मुकेश कुमार पुत्र राधेश्याम-जाति स्वामी सा-देह के हिस्से में रहेगी।

(2) आ-ख-न- 1429/2 रकबा 0.0336 है- कृषि राकेश कुमार पुत्र कैलाश शर्मा जाति-ब्रा- सा-देह के हिस्से मे रहेगी।

(3) आ-ख-न- 1429/3 रकबा 0.0310 है- कृषि मोहनी देवी पत्नि सीताराम अजमल कि- 200/310 सा-देह कैलाश पुत्र हीरामल जाति अहीर सा-देह, कानाराम पुत्र हीरामल, सीताराम पुत्र हीरामल, मैना पुत्री हीरामल, मुरारी, मकेश, मोहन पुत्रान रामबक्स, राजू, कमला पुत्री रामबक्स कि- 110/310 जाति अहीर सा-देह के हिस्से मे रहेगी।

(4) आ-ख-न- 1427/1 रकबा 0.0750 है- कृषि मुकेश कुमार पुत्र राधेश्याम 2/3 जाति स्वामी सा-देह, मुन्नी देवी पत्नी रामकरण कि- 1/75 जाति गुर्जर सा-देह कैलाश, कानाराम, सीताराम पुत्र हीरामल, मैना पुत्री हीरामल कि- 12/25 मुरारी, मकेश, मोहन पि- रामबक्स, राजू, कमला पुत्रीयां रामबक्स कि- 3/25 जाति-अहीर सा-देह- के हिस्से मे रहेगी।

रिपोर्ट बटवारा नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे।

प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि बटवारा अनुसार वादी के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे। पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned by CamScanner

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

वाद संख्या :– 111/2019

शीर्षक

मुकेश कुमार पुत्र राधेश्याम खाती निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. मोहनी देवी पत्नी सीताराम अग्रवाल महाजन निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
2. राकेश कुमार पुत्र कैलाश शर्मा निवासी मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
3. कैलाश, 4. भानाराम, 5. सीताराम पि0 छीतरमल
6. मीरा देवी पुत्री छीतरमल

समस्त जाति यादव निवासी टोड़ी, मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

7. महेश, 8. मुरारी , 9. मोहन पि0 रामबक्स
10. राजू, 11. हंसा पुत्रीयां रामबक्स

समस्त जाति यादव निवासी केलाकाबास, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

12. गुल्ली देवी पत्नी साधुराम गुर्जर नि. टोड़ी, मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा ,जिला जयपुर ।
14. उपपंजीयक कार्यालय शाहपुरा, जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 29-11-2019

अतः दावा मुताबिक बंटवारा रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है। आ.ख.नं. 1429/0.4117 व 1427/0.21 है0 वाके ग्राम मनोहरपुर तह. शाहपुरा का खातेदारान के मध्य निम्न बंटवारा किया जाकर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किए जाते है–

1. आ.ख.नं. 1427/2 रकबा 0.1350 व 1429/4 रकबा 0.3471 कुल किता 2 रकबा 0.4821 है0 भूमि मुकेश कुमार पुत्र राधेश्याम खाती सा.देह के हिस्से में रहेगी।
2. आ.ख.नं. 1429/2 रकबा 0.0336 है0 भूमि राकेश कुमार पुत्र कैलाश शर्मा जाति ब्रहामण सा.देह के हिस्से में रहेगी।
3. आ.ख.नं. 1429/3 रकबा 0.0310 है0 भूमि मोहनी देवी पत्नी सीताराम अग्रवाल हिस्सा 200/310 सा.देह, कैलाश पुत्र छीतरमल ~~हिस्सा~~ जाति अहीर सा. देह , भानाराम पुत्र छीतरमल, सीताराम पुत्र छीतरमल, मीरा पुत्र छीतरमल, मुरारी मुकेश मोहन पुत्रान् रामबक्स, राजू हेसा पुत्रीयां रामबक्स हिस्सा 110/310 जाति अहीर सा.देह के हिस्से मे रहेगी।
4. आ.ख.नं. 1427/1 रकबा 0.0750 है0 भूमि मुकेश कुमार पुत्र राधेश्याम 2/3 जाति खाती सा.देह, गुल्ली देवी पत्नी साधूराम हिस्सा 16/75 जाति गुर्जर सा.देह, कैलाश भानाराम सीताराम पुत्रान् छीतरमल, मीरा पुत्री छीतरमल हिस्सा 12/125, मुरारी महेश मोहन पि0 रामबक्स, राजू हंसा पुत्रियां रामबक्स हिस्सा 3/125 जाति अहीर सा.देह के हिस्से में रहेगी।

रिपोर्ट बंटवारा व नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतू तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे।

प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारा अनुसार वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे।

आज तारीख 29-11-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. ____ रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2020.03.04 15:23:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: